



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274868
CG-DL-E-27072026-274868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3951]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3951]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4121(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कुछ निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय की छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरसित कर दिया गया था;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख), अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसके उप-धारा (4), के निम्नलिखित को कुछ भी अध्यधीन प्रभावित नहीं करेगा-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन और कोई आदेश या उसके तहत विधिवत किया गया कृत्य या हानि; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, देनदारी या दायित्व;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू रहेंगे (नोटिस सहित निर्धारण, पुनःनिर्धारण, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुसार की जाएगी;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ई) में प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा और निपटाया जाएगा जबकि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

अतः केंद्र सरकार अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए "छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण प्राधिकरण (पैन AAAJC1049H)", जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अर्थात्:-

(क) सरकार से सहायता अनुदान या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के प्रावधानों के अनुसार बिल्डरों/डेवलपर्स, एजेंटों या किसी अन्य हितधारकों से प्राप्त शुल्क/जुर्माना; तथा

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन लागू होगी कि छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण—

(क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;

(ख) इसके कार्यकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) 1961 के अधिनियम के 139(4ग)(छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 से संबंधित कर निर्धारण वर्षों 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं 99 /2026/ फा. सं.300196/16/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण संबंधित ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
 (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4121(E).— Whereas, section 10 (46) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) provided for exemption of specified income of certain bodies or authorities or Boards or Trusts or Commissions as may be notified by the Central Government in the Official Gazette for the purposes of that section;

And whereas, the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) was repealed by section 536 (1) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025);

And whereas, section 536(2)(a) and (b) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), inter alia, provides that irrespective of the repeal of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act of 1961) and subject to sub-section (4) thereof, nothing shall affect-

(i) the previous operation of the provisions of the Act of 1961 and any order or anything duly done or suffered thereunder; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act of 1961 or orders under that Act;

And whereas, section 536(2)(c) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that the provisions of the Act of 1961 shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and to any proceedings initiated on or after the 1 April, 2026 (including notices, assessment, reassessment, recomputation, rectification, penalty, reference, revision and appeals) in respect of any tax year beginning before the 1st April, 2026 and such proceedings shall be carried out as per the procedure specified in the Act of 1961;

And whereas, section 536(2)(e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) provides that any proceeding pending on the date of its commencement before any income-tax authority or any other authority constituted under the repealed Income-tax Act, Appellate Tribunal, or any court, by way of application, appeal, reference or revision or by any other means, shall be continued and disposed of as if this Act had not been enacted;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 536(2)(a) to (c) and (e) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies, for the purposes of section 10 (46) of the Act of 1961, " Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority (PAN: AAAJC1049H) ", an authority constituted by the State Government of Chhattisgarh, in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-

- (a) amount received as Grant-in-aid or loan / advance from Government;
- (b) fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; and
- (c) interest earned on (a) and (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provisions of section 139(4C)(g) of the Act of 1961.

3. Failure to comply with these conditions shall result in the initiation of penal actions under the provisions of the Act of 1961, and withdrawal of exemption granted under section 10(46) of the Act of 1961.
4. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2024-25, 2025-26 and 2026-27 relevant to the financial years 2023-24, 2024-25 and 2025-26.

[Notification No. 99 /2026/ F.No.300196/16/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that the interests of no person are being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed before the Board or Income-tax Department] to this notification.